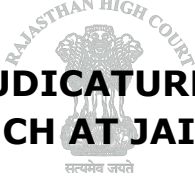


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4399/2015

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री शंकर लाल, उम्र 50 वर्ष,
2. नाथूलाल पुत्र श्री शंकर लाल, उम्र 36 वर्ष,
3. छीतरमल पुत्र श्री शंकर लाल, उम्र 28 वर्ष,
समस्त निवासीगण ग्राम रामपुरा बुजुर्ग, पोस्ट कौथून, तहसील
चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

----प्रार्थी / अपीलार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण गुर्जर पुत्र श्री जौर लाल, निवासी ग्राम पोस्ट सण्डेरा
फार्म, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान।
(चालक वाहन मिनी बस संख्या आरजे-14-पीए-1639)
2. सीताराम शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा, निवासी ग्राम आसावाला,
श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
(पंजीकृत स्वामी वाहन मिनी बस संख्या आरजे-14-पीए-1639)
3. दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय- एफ-7,
प्रताप प्लाजा, प्रताप नगर, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
जरिये शाखा प्रबन्धक (बीमा कंपनी वाहन मिनी बस संख्या
आरजे-14-पीए-1639)

----Respondents

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3956/2015

The New India Assurance Company Limited, Regional Office:
Second Floor, South Floor, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur
Through Its Constituted Attorney.

----Appellant/Non-Claimant

Versus

1. Smt. Sunita Sharma @ Anita Wife of Late Shri Om
Prakash, Aged 35 Years;
2. Pawan Kumar Son of Late Shri Om Prakash, Aged 18
Years;
3. Kumari Arti Daughter of Late Shri Om Prakash, Aged 16
Years (Minor);
4. Kumari Pooja Daughter of Late Shri Om Prakash, Aged 14
Years (Minor);
5. Master Ashish Son of Late Shri Om Prakash, Aged 12
Years (Minor);
(Claimants No. 3 To 5 Through Natural Guardian Mother

Smt. Sunita Sharma);

6. Jagdish Narain Sharma Son of Late Shri Govind Narain Sharma, Aged 78 Years (Deceased);
7. Smt. Rameshwari Devi Wife of Shri Jagdish Narain, Aged 73 Years;
All Resident of 20/17, Kaveri Path, Man Sarover, Jaipur, District Jaipur.

----Claimants/Respondents

8. Shri Satya Narain Gurjar Son of Shri Jor Lal, Resident of Village Post Sandera Farm, Tehsil Piplu, District Tonk (Rajasthan).
(Driver of Vehicle Mini Bus No. RJ-14-PA-1639).
9. Shri Sita Ram Sharma Son of Mangal Ram Sharma, Resident of Village Asawala, Shriram Ki Nangal, Tehsil Sanganer, District Jaipur.
(Regd. Owner of Vehicle Mini Bus No. RJ-14-PA-1639).

----Non-Claimants/Respondents

(3) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4400/2015

1. बद्री लाल पुत्र श्री सुखदेवी बैरवा, उम्र 40 वर्ष,
2. श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री बद्रीलाल, उम्र 36 वर्ष,
समस्त निवासीगण ग्राम बाढ गौर खुर्द, पोस्ट दतवास, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।
हाल निवासी पानी की टंकी के पास, दादू दयाल नगर, अग्रवाल फार्म, जयपुर, राजस्थान।

----प्रार्थी / अपीलार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण गुर्जर पुत्र श्री जौर लाल, निवासी ग्राम पोस्ट सण्डेरा फार्म, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान।
(चालक वाहन मिनी बस संख्या आरजे-14-पीए-1639)
2. सीताराम शर्मा पुत्र श्री मंगलराम शर्मा, निवासी ग्राम आसावाला, श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
(पंजीकृत स्वामी वाहन मिनी बस संख्या आरजे-14-पीए-1639)
3. दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय- एफ-7, प्रताप प्लाजा, प्रताप नगर, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
जरिये शाखा प्रबन्धक (बीमा कंपनी वाहन मिनी बस संख्या आरजे-14-पीए-1639)

--- अप्रार्थीगण

For Appellant(s) : Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Raaj Pal Chaudhary, Adv. for
insurance company
Mr. Sandeep Mathur, Adv. with
Mr. Kapil Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

14/11/2025

1. दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या 4399/2015, रेस्पोंडेंट/अपीलान्ट न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-3956/2015 तथा दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण बद्रीलाल व अन्य की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-4400/2015, उक्त तीनों दीवानी विविध अपीलों धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) जयपुर (जिसे आगे 'अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-677/2011 (1247/2009), श्रीमती कमला देवी बनाम सत्यनारायण व अन्य, क्लेम याचिका संख्या-678/2011 (1241/2009), श्रीमती सुनीता शर्मा उर्फ अनिता बनाम सत्यनारायण व अन्य तथा क्लेम याचिका संख्या-679/2011 (1246/2009), बद्री लाल व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण श्रीमती कमला देवी द्वारा अधिकरण के समक्ष, मृतक शंकर लाल सैनी की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 60,00,000/- रुपये, दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण श्रीमती सुनीता शर्मा उर्फ अनिता व अन्य द्वारा मृतक ओमप्रकाश की मोटर

वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 2,33,70,000/— रुपये तथा दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण ब्रदीलाल व अन्य द्वारा मृतक रामावतार की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 60,00,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचीगण कमला देवी व अन्य को कुल 3,52,700/— रुपये, याचीगण सुनीता शर्मा उर्फ अनिता व अन्य को कुल 33,93,258/— रुपये तथा याचीगण ब्रदीलाल व अन्य को कुल 5,46,000/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य द्वारा **सिविल विविध अपील संख्या-4399/2015** व दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण ब्रदीलाल व अन्य द्वारा **सिविल विविध अपील संख्या 4400/2015** क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है तथा रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-3956/2015**, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. **सिविल विविध अपील संख्या-4399/2015** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की आय 3,000/— रुपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना मृतक चौपडा कन्स्ट्रक्शन पर सुपरवाइजर/ढेकेदारी का कार्य करके 13,000/— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के पेटे 1/3 के स्थान पर 1/2 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये

जाने एवं बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गयी।

4. **सिविल विविध अपील संख्या—3956/2015** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी का यह तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय 2,39,433/— रुपये वार्षिक निर्धारित करते हुए अत्यधिक क्षतिपूर्ति राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गयी है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी का यह भी तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक 42 वर्ष का था, अधिकरण द्वारा मृतक की भविष्य की आय में उसकी आयु को देखते हुए 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि एक स्वनियोजित श्रेणी के व्यक्ति की आय में 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी का यह भी तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यधिक राशि दिलवाई गयी है तथा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। अतः उपरोक्त आधार पर रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिकरण के निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. **सिविल विविध अपील संख्या—4400/2015** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की आय 3,000/— रुपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना मृतक सेनेट्री फिटिंग का कार्य करके 8,000/— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अपील पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

सिविल विविध अपील संख्या-4399/2015 :-

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.01.2009 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक शंकर लाल को 54 वर्ष आयु का होना बताते हुए चौपडा कन्सट्रक्शन पर सुपरवाइजर/ठेकेदारी का कार्य कर प्रतिमाह 13,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक शंकर लाल की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए वर्ष 2008 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर के आधार पर मृतक की आय 100/- रुपये प्रतिदिन, तदनुसार मासिक आय 3,000/- रुपये निर्धारित की गई है। चूंकि वर्ष 2009 व 2010 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गई है बल्कि वर्ष 2011 में पुनः निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर 135/- रुपये प्रतिदिन है। ऐसी स्थिति में घटना की तिथि 09.01.2009 को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय वक्त घटना मृतक की दैनिक आय 110/- रुपये, तदनुसार मासिक आय 3,300/- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना 55 वर्षीय स्वनियोजित व्यवसायी माना जाकर उसकी निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में 15 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गई है। जबकि वक्त घटना मृतक स्वनियोजित व्यवसायी था, न कि वेतनभोगी व्यक्ति। ऐसी स्थिति में मृतक की निर्धारित आय में 10 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित था। चूंकि वक्त घटना मृतक शंकर लाल 55 वर्षीय स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त

के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मासिक आय 3,300/— रुपये पर 10 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 3,300/— रुपये का 10 प्रतिशत 330/— रुपये होता है। उक्त 10 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 3,630/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. वक्त घटना मृतक शंकर लाल पर कुल तीन आश्रित होना बताया गया है। अधिकरण ने मृतक के व्यस्क पुत्रों को मृतक पर आश्रित होना नहीं मानते हुए व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/2$ भाग की कटौती की है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Seema Rani & Ors. Vs. The Oriental Insurance Company Ltd. & Ors.** reported in **2025 SCC Online SC 283** व **National Insurance Company Ltd. Vs. Birender & Ors.** reported in **(2020) 11 SCC 356** के अवलोकन से जाहिर है कि उपरोक्त मामलों में मृतक की बालिग संतान यद्यपि कुछ आय अर्जित करते थी। किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि कुछ हद तक वे मृतक की आय पर भी आश्रित थे। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/3$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। अधिकरण द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/2$ भाग की कटौती की गयी है। जबकि मृतक के बालिग पुत्रों को मृतक पर आश्रित माना जाकर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/3$ भाग की कटौती की जानी चाहिए थी। इस बिन्दु पर अधिकरण का निर्णय संशोधित किये जाने योग्य है। 3,630/— रुपये का $1/3$ भाग 1,210/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 2,420/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के

मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 11 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

10. तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 2,420/— रुपये के आधार पर दावाकर्तागण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $2,420 \times 12 \times 11 = 3,19,440/—$ रुपये होती है, जो दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को कंसोर्टियम व प्यार—स्नेह की मद में एकमुश्त 1,00,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या—1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 48,000/— रुपये तथा मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या—2 व 3 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 48,000—48,000/— रुपये (कुल राशि 1,44,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 25,000/— रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गयी है, जो अत्यधिक है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए

18,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि दावाकर्तागण को नहीं दिलवाई गई है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

सिविल विविध अपील संख्या-4400/2015 :-

14. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.01.2009 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक रामावतार को 21 वर्ष आयु का होना बताते हुए सेनेट्री फिटिंग का कार्य कर प्रतिमाह 8,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा मृतक रामावतार को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए वर्ष 2008 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर के आधार पर मृतक की आय 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक आय 3,000/- रुपये निर्धारित की गई है। चूंकि वर्ष 2009 व 2010 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गई है बल्कि वर्ष 2011 में पुनः निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर 135/- रुपये प्रतिदिन है। ऐसी स्थिति में घटना की तिथि 09.01.2009 को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय वक्त घटना मृतक की दैनिक आय 110/- रुपये, तदनुसार मासिक आय 3,300/- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 21 वर्ष आयु का होना बताया गया है। किन्तु अधिकरण द्वारा मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-19 में दर्शायी गयी आयु के आधार पर वक्त घटना मृतक रामावतार की आयु 20 वर्ष होना निर्धारित की गयी है। अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को 20 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी माना जाकर

उसकी निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी में 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि वक्त घटना मृतक स्वनियोजित व्यवसायी था, न कि वेतनभोगी कर्मचारी। ऐसी स्थिति में मृतक की निर्धारित आय में 10 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित था। चूंकि वक्त घटना मृतक रामावतार 20 वर्षीय स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की 20 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मासिक आय 3,300/- रुपये पर 10 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 3,300/- रुपये का 40 प्रतिशत 1,320/- रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 4,620/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

15. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/2$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। 4,620/- रुपये का $1/2$ भाग 2,310/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 2,310/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा (उपरोक्त)** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की 20 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

16. तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 2,310/- रुपये के आधार पर दावाकर्तागण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $2,310 \times 12 \times 18 = 4,98,960/-$ रुपये होती है, जो दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 50,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **नानू राम उर्फ चुहरु राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित

को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-1 व 2 को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 48,000/- रुपये (कुल राशि 96,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 10,000/- रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि दावाकर्तागण को नहीं दिलवाई गई है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

सिविल विविध अपील संख्या-3956/2015 :-

20. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी का यह तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय 2,39,433/- रुपये वार्षिक निर्धारित करते हुए अत्यधिक क्षतिपूर्ति राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गयी है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.01.2009 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक ओमप्रकाश को

42 वर्ष आयु का होना बताते हुए प्रोपर्टी डिलर का कार्य कर, खेतीबाड़ी कर, ज्यूस की दुकान कर व मोबाईल की दुकान कर प्रतिमाह 50,000/- रुपये की आय अर्जित करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में दावाकर्तागण द्वारा मृतक ओमप्रकाश की वित्तीय वर्ष 2005-2006 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-90, वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-89 तथा वित्तीय वर्ष 2007-2008 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-88 विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। मृतक ओमप्रकाश की वित्तीय वर्ष 2005-2006 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-90 में मृतक की वार्षिक आय 2,25,675/- रुपये, वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-89 में वार्षिक आय 1,85,403/- रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2007-2008 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-88 में कुल वार्षिक आय 3,10,803/- रुपये दर्शायी गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की उपरोक्त आयकर विवरणियों में दर्शायी गयी आय का औसत निकालते हुए मृतक की वार्षिक आय 2,39,433/- रुपये निर्धारित की गयी है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Smt. Sangita Arya & Ors. Versus Oriental Insurance Co. Ltd. & Ors.** reported in **2020(5) SCC 327** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि मृतक के आय के संबंध में उसकी मृत्यु की पूर्व की आयकर विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं तो उक्त आयकर विवरणियों में से मृतक की मृत्यु से ठीक पूर्व की अंतिम आयकर विवरणी के आधार पर उसकी आय निर्धारित की जावेगी, न कि मृतक की पूर्व की आयकर विवरणियों का औसत निकालते हुए। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यदि मृतक की मृत्यु से ठीक पूर्व की आयकर विवरणिका प्रदर्श-88 में दर्शायी गयी आय 3,10,803/- रुपये को मृतक की वार्षिक आय निर्धारित किया जाता है तो निश्चित की क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की जो वार्षिक आय निर्धारित की गयी है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः इस संबंध में अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से ली गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

21. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से एक अन्य आपत्ति यह ली गयी है कि अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि एक स्वनियोजित श्रेणी के व्यक्ति की आय में 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जानी चाहिए थी। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त घटना मृतक 42 वर्ष आयु का होना बताते हुए प्रोपर्टी डिलर का कार्य कर, खेतीबाड़ी कर, ज्यूस की दुकान कर व मोबाईल की दुकान करना बताया गया है। इस प्रकार वक्त घटना मृतक स्वनियोजित व्यवसायी था, न कि वेतनभोगी व्यक्ति। इन परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को स्वनियोजित व्यवसायी होना मानते हुए उसकी निर्धारित वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गयी है। जबकि मृतक की निर्धारित आय पर 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित था। किन्तु अधिकरण द्वारा मृतक की आय उसकी आयकर विवरणियों में दर्शायी गयी आय का औसत निकालते हुए निर्धारित की गयी है। ऐसे में यदि मृतक की मृत्यु से ठीक पूर्व की अन्तिम आयकर विवरणिका में दर्शायी गयी आय को मृतक की वार्षिक आय निर्धारित किया जाकर उस पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी की मद में 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाती है तो भी निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी होगी। अतः इस संबंध में अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से उठाई गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

22. जहां तक विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर उठाई गयी यह आपत्ति कि अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यधिक राशि दिलवाई गयी है तथा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त घटना मृतक पर कुल सात आश्रित होना बताया गया है, जिनमें दावाकर्ता संख्या-1 मृतक की पत्नी, दावाकर्ता संख्या-2 लगायत 5 मृतक के पुत्र-पुत्री तथा दावाकर्ता संख्या-6 व 7 मृतक के पिता व माता है। मृतक के पिता की मृत्यु याचिका के लम्बित रहने के दौरान निर्णय से पूर्व हो चुकी है। ऐसी

स्थिति में वर्तमान में मृतक पर केवल छः आश्रित शेष रहते हैं। चूंकि मृतक के पिता की मृत्यु निर्णय से पूर्व हुई है। ऐसी स्थिति में मृतक के पिता को मृतक पर आश्रित माना जाकर 1/5 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित था। किन्तु यदि मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/5 भाग की कटौती की जाती है तो निश्चित ही क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की जो कटौती की गयी है, उसे हम किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण होना नहीं पाते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा समस्त प्रार्थीगण को कंसोर्टियम की मद में एकमुश्त 1,00,000/- रुपये की राशि तथा अंतिम संस्कार की मद में 25,000/- रुपये की राशि प्रार्थीगण को दिलवाई गयी है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी दावाकर्ता/रेस्पोण्डेंट संख्या-1, मृतक के बच्चे दावाकर्ता/रेस्पोण्डेंट संख्या-2 लगायत 5 तथा मृतक के माता-पिता दावाकर्ता/रेस्पोण्डेंट संख्या-6 व 7 प्रत्येक 48-48 हजार रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी दावाकर्तागण/रेस्पोण्डेंट्स अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000-18,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी थे। ऐसी स्थिति में यदि प्रत्येक दावाकर्तागण को कंसोर्टियम की मद तथा अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में राशि दिलवायी जाती है तो निश्चित ही क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार

उपरोक्त समस्त मदों में अधिकरण द्वारा जो क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है, उसे किसी भी प्रकार से अधिक नहीं माना जा सकता। अतः इस बिन्दु पर भी रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से ली गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

23. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील तथा उसमें लिये गये आक्षेप माने जाने योग्य नहीं होने के कारण रेस्पोंडेंट/अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-3956/2015** अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान अधिकरण के निर्णय दिनांक 01.07.2015 की दावाकर्तागण श्रीमती सुनीता शर्मा उर्फ अनिता व अन्य की हद तक पुष्टि की जाती है।

24. उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण श्रीमती कमला देवी व अन्य की ओर से संस्थित की गई **सिविल विविध अपील संख्या-4399/2015** को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण श्रीमती कमला देवी व अन्य निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	3,19,440 / - रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	1,44,000 / - रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 / - रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 / - रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	4,99,440 / - रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	3,52,700 / - रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,46,740 / - रुपये

25. उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य की ओर से संस्थित की गई **सिविल विविध अपील संख्या-4400/2015** को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	4,98,960 / - रुपये

2.	कंसोर्टियम के मद में	96,000 / – रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 / – रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 / – रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	6,30,960 / – रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	5,46,000 / – रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	84,960 / – रुपये

26. तदनुसार **सिविल विविध अपील संख्या-4399/2015** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य को 3,52,700 / – रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 4,99,440 / – रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। इसी प्रकार **सिविल विविध अपील संख्या-4400/2015** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य को 5,46,000 / – रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 6,30,960 / – रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य तथा अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य द्वारा तथा अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य तथा अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

27. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 14.10.2015 के अनुसार अपीलांट बीमा कम्पनी को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण राशि अधिकरण के समक्ष जमा करवाए। इसके पश्चात् इस न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 06.12.2016 को पारित आदेशानुसार अधिकरण के समक्ष पूर्व में जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 70 प्रतिशत राशि का वितरण प्रत्यर्थी-क्लेमेंट्स श्रीमती सुनीता शर्मा उर्फ अनीता व अन्य को किया गया तथा 30 प्रतिशत राशि अधिकरण के समक्ष शेष रखी गयी है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी की अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिकरण के समक्ष जो 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति

राशि शेष रही है, उसका भुगतान नियमानुसार दावाकर्तागण सुनीता शर्मा उर्फ अनीता व अन्य को कर दिया जावे।

28. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण कमला देवी व अन्य तथा अपीलार्थीगण बद्री लाल व अन्य, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

29. तदनुसार उक्त अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

30. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/7,8 & 9